न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 239/2021
3. उनवान : सरकार जरिये कुशाल बिलाला, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1- श्री मोहन लाल पुत्र श्री नन्दाराम निवासी काली बाई की ढाणी, तन दूदावास थाना प्रागपुरा जिला जयपुर वाहन चालक पिकअप नंबर RJ-14-GB-7526
2- वाहन मालिक पिकअप नंबर
3. श्री मोहन सिंह शेखावत पुत्र श्री भंवर सिंह, भोनावास, थाना प्रागपुरा जिला जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 15.09.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री कुलभूषण गौड अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी श्री कुशाल बिलाला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 13.02.2016 को वाहनों की दौराने जांच कोटपूतली से वाहन पिकअप नंबर RJ-14-GB-7526 में 12 ड्रमों में 2600 लीटर डीजल मय वाहन जब्त किये गये। अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल खरीदने के बिल पेश नहीं किये गये एवं निर्धारित मात्रा से अधिक का परिवहन किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्त डीजल के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये एवं ना ही जब्त वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण ने उपस्थिति दी। दिनांक 18.02.2016 को जब्त वाहन के मोचन आदेश जारी किये गये। अप्रार्थी/अभिभाषक द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अतः प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। प्रत्येक तारीख पेशी के दिन न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को आवाज दिलवाई जाती रही। बारम्बार आवाज दिलवाये जाने पर भी लम्बे समय तक पत्रावली में कोई उपस्थित ना होने की स्थिति में पत्रावली पत्रावली दिनांक 15.09.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 13.02.2016 को जब्त डीजल का अवैध भण्डारण एवं वाहन पिकअप नंबर RJ-14-GB-7526 से अवैध परिवहन किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। मौके पर अप्रार्थी द्वारा उक्त 2600 लीटर डीजल के बिल नहीं दिये तथा डीजल/ पेट्रोल की खरीद बेच का लाइसेंस व विस्फोटक विभाग का लाईसेंस प्रस्तुत नहीं किया, जबकि राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 15 में किसी व्यक्ति के द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के एक समय पर उसके पास अधिसूचित सीमा यथा 1000 लीटर से अधिक डीजल की मात्रा का स्वयं या अपने निमित्त किसी भी व्यक्ति के मार्फत किसी भी समय भण्डारण करने और कब्जे में रखने के संबंध में प्रतिबंध व निर्बन्धन है तथा बिना अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल व डीजल का बेचान प्रतिबंधित है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त डीजल 2597.750 लीटर एवं जब्त वाहन पिकअप नंबर RJ-14-GB-7526 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर, ग्रामीण को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त डीजल मय वाहन का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करवाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिले दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं